न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2013 पुनरावलोकन

शंकर प्रसाद पुत्र श्री गोविन्द्र प्रसाद ब्राम्हण आयु– 56 वर्ष, निवासी– ग्राम लोढ़ी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर, म0प्र0 —— आवेदक

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामखेलावन निवासी– ग्राम लोढ़ी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर
3. रामनिहोर पुत्र श्री गंगाराम ब्राम्हण निवासी– ग्राम लोढ़ी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर

——– अनावेदकगण

<u>पुनरावलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनाकी 12/7/2013 पारित द्वारा माननीय सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 2395–तीन/2013 पुनरीक्षण व उनवान शंकर प्रसाद बनाम म0प्र0 शासन आदि कैम्प रीवा</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण में विवादित कृषि भूमि स्थित ग्राम लोढ़ी तहसील कोतमा के सर्वे कमांक 10/1 रकवा 2.023 हैक्टर भूमि अनावेदक कमांक 3 रामनिहोर पुत्र गंगाराम निवासी– ग्राम लोढ़ी तहसील कोतमा के स्वत्व, स्वामित्वएंव आधिपत्य की थी, जिसे आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3986–तीन/13 **जिला –अनूपपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
29-6-16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2395–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.7.13 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3986–तीन/13 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2395–तीन/2013 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 12.7.13 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 3986–तीन/13 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के
पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।
ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।
स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य